

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 23.11.2022 की अनुपालना में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित निम्नांकित कार्मिकों की राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	प्रतिनियुक्ति पद	कार्यग्रहण तिथि	प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रस्तावित अभिवृद्धि	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनामिका चौधरी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	18.07.2020	18.07.2022 से 17.07.2023	तृतीय वर्ष
2	श्रीमती शीतू सालवी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	18.07.2020	18.07.2022 से 17.07.2023	तृतीय वर्ष
3	डॉ. अशोक कुमार बैरवा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	21.07.2020	21.07.2022 से 20.07.2023	तृतीय वर्ष



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 21.12.2022

क्रमांक:-शिक्षा-मा/संस्था-4/सी-11/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ ।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी ।
9. संबंधित अधिकारी ।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज. को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली ।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर